न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 03/24 दायरा दिनांक 07.05.2024

1. शिवचरण पुत्र कल्लू उम्र 51 वर्ष जाति किराड निवासी खैराई तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. बाबू पुत्र कल्लू उम्र 54 वर्ष जाति किराड निवासी खैराई तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. कन्हैया पुत्र कल्लू उम्र 48 वर्ष जाति किराड निवासी खैराई तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. रमेश पुत्र कल्लू उम्र 45 वर्ष जाति किराड निवासी खेराई तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
5. भरत पुत्र कल्लू उम्र 42 वर्ष जाति किराड निवासी खैराई तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
6. उम्मेद पुत्र कल्लू उम्र 40 वर्ष जाति किराड निवासी खैराई तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– अपीलान्टस

–: बनाम :–

1. ग्राम पंचायत गणेशपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गणेशपुरा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश फौती नामा. नंबर नम्बर 221, 226, 227 ग्राम कमलखेडा तहसील शाहावाद व नामा. नंबर 262 ग्राम धतूरिया तहसील शाहावाद दिनांक 21–02–2001 अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत गणेशपुरा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

निर्णय दिनांक 13.08.2024

उपस्थित– अपीलाण्टस की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
रेस्पो. की ओर से – एकपक्षीय

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील शाहावाद पटवार हल्का गणेशपुरा के ग्राम कमलखेडा में खाता संख्या 90 में आराजी ख.नं. 63/334 रकबा 2.00 बीघा, ख.नं. 63/344 रकबा 11.19 बीघा किता 2 कुल रकबा 13.19 बीघा खाता संख्या 44 में आराजी ख.नं. 62/332 रकबा 36.03 बीघा तथा खाता संख्या 11 में आराजी ख.नं. 30 रकबा 49.16 बीघा तथा ग्राम धतूरिया के खाता संख्या 159 में आराजी ख.नं. 16 रकबा 20.14 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी खाता संख्या 90 के ख.नं. 63/334 रकबा 2.00 बीघा, ख.नं. 63/344 रकबा 11.19 बीघा किता 2 कुल रकबा 13.19 बीघा में अपीलाण्ट के पिता कल्लू पुत्र भंवरलाल जाति किराड निवासी खेराई का हिस्सा 1/3 दर्ज रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.09.24 12:44:38 IST
Reason: SelfAttested

13/08/24
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

जिनकी मृत्यु के बाद विरासत नामान्तरण नंबर 221 में अपीलाण्ट कम 1 का घरेलू नाम शिब्बू दर्ज कर दिया गया है, जबकि अपीलाण्ट कम 1 का रिकार्डेड नाम शिवचरण है। इसी प्रकार आराजी खाता संख्या 44 की आराजी ख.नं. 62/332 रकबा 36.03 बीघा में अपीलाण्ट के पिता कल्लू पुत्र भंवरलाल जाति किराड निवासी खैराई का हिस्सा 1/9 दर्ज रहा है, जिनकी मृत्यु के बाद विरासत नामान्तरण नंबर 226 में अपीलाण्ट कम 1 का घरेलू नाम शिब्बू दर्ज कर दिया गया है, जबकि अपीलाण्ट कम 1 का रिकार्डेड नाम शिवचरण है। उक्त आराजी खाता संख्या 11 की आराजी ख.नं. 30 रकबा 49.16 बीघा में अपीलाण्ट के दादाजी भंवरलाल पुत्र मोहनलाल जाति किराड निवासी खैराई का हिस्सा 1/3 दर्ज रहा है, जिनकी मृत्यु के बाद विरासत नामान्तरण नंबर 227 में अपीलाण्ट कम 1 का घरेलू नाम शिब्बू दर्ज कर दिया गया है, जबकि अपीलाण्ट कम 1 का रिकार्डेड नाम शिवचरण है। उक्त आराजी खाता संख्या 159 की आराजी ख.नं. 16 रकबा 20.14 बीघा में अपीलाण्ट के अपीलाण्ट के दादाजी भंवरलाल पुत्र मोहनलाल जाति किराड निवासी खैराई का हिस्सा 1/2 दर्ज रहा है, जिनकी मृत्यु के बाद विरासत नामान्तरण नंबर 262 में अपीलाण्ट कम 1 का घरेलू नाम शिब्बू दर्ज कर दिया गया है, जबकि अपीलाण्ट कम 1 का रिकार्डेड नाम शिवचरण है। इस प्रकार उक्त सभी खातों में अपीलाण्ट कम 1 का नाम शिवचरण के स्थान पर शिब्बू दर्ज हो जाने से अपीलाण्ट को भारी दिक्कत तथा परेशानी हो रही है, अपीलाण्ट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा अन्य कृषि योजनाओं के लाभ से वंचित है, उक्त नाम की दुरूस्ती हेतु प्रार्थनापत्र तहसीलदार शाहावाद के समक्ष पेश किया तो उन्होने उक्त नाम फोती नामान्तरण के जरिये दर्ज होने से दुरूस्ती से इनकार कर दिया और अपीलाण्ट को श्रीमान न्यायालय में अपील करने की हिदायत दी है। दिनांक 02.05.2024 को तहसील कार्यालय शाहावाद में आकर किसान सम्मान निधि की राशि बावत पता किया तो कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा अपीलाण्ट कम 1 का जमाबंदी में गलत नाम दर्ज होने से उक्त लाभ से वंचित कर दिये जाने पर अपीलाण्ट को गलत नाम दर्ज होने का सर्व प्रथम ज्ञान हुआ, ज्यों ही ज्ञान हुआ कि उसी दिन हल्का पटवारी से प्रश्नगत नामान्तरण तथा जमाबंदी की नकल प्राप्त कर ली और सर्वप्रथम ज्ञान से आज यह अपील उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। पूर्व की डिले जानकारी के अभाव में क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम साथ संलग्न है। प्रश्नगत चारों नामान्तरण नंबर 221, 226, 227 ग्राम कमलखेडा व 262 ग्राम धतूरिया एक ही दिन दिनांक 21.02.2001 को अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गणेशपुरा द्वारा तस्दीक किये गये हैं, जिन सभी नामान्तरण में अपीलाण्ट कम 1 का घरेलू नाम शिब्बू दर्ज किया गया है, इस कारण चारों नामान्तरण की यह संयुक्त अपील पेश की जा रही है, जिसका माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः उक्त चारों नामान्तरण की संयोजित अपील प्रस्तुत है ताकि वाद बहुलता न बढे और

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.09.24 12:44:38 IST
Reason: SelfAttested

13/08/2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

माननीय न्यायालय का कीमती समय जाया न हो। अन्य वजुहात वक्त वहस मौखिक अर्ज किये जावेंगे। अतः अपील पेश कर श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर विरासत बावत तस्दीक प्रश्नगत फौती नामान्तरकरण नम्बरं नंबर 221, 226, 227 ग्राम कमलखेडा व 262 ग्राम धतूरिया दिनांक 21.02.2001 ग्राम पंचायत गणेशपुरा तहसील शाहाबाद को अपीलाण्ट कम 1 के नाम की हद तक निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलाण्ट कम 1 का नाम शिब्बू के स्थान पर शिवचरण दर्ज करते हुये पुनः नामान्तरण दर्ज किये जाने के सादर आदेश रेस्पो. कम 2 को पारित फरमाये जाने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टस की तलबी की गई। रेस्पोन्डेन्टस के विरूद्व बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्टस की मुख्य रूप से आपत्ति यह है कि प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 221, 226, 227 ग्राम कमलखेडा तहसील शाहावाद व नामा. नंबर 262 ग्राम धतूरिया तहसील शाहावाद में अपीलाण्ट कम 1 का नाम शिब्बू गलत दर्ज कर दिया है, जबकि सही नाम शिवचरण है, अपने कथन के समर्थन में अपीलाण्ट कम 1 ने अपने आधारकार्ड जन आधार कार्ड मतदाता परिचयपत्र राशनकार्ड गैस कनेक्शन बुक बैंक खाता पासबुक जोबकार्ड की प्रतियां पेश की हैं, जिनमें अपीलाण्ट कम 1 का नाम शिवचरण दर्ज है। इस प्रकार अपीलाण्ट कम 1 प्रथम दृष्टया अपने कथन को साबित करने में सफल रहा है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण नंबर 221, 226, 227 ग्राम कमलखेडा तहसील शाहावाद व नामा. नंबर 262 ग्राम धतूरिया तहसील शाहावाद दिनांक 21.02.2001 आदेश ग्राम पंचरयत गणेशपुरा तहसील शाहावाद को निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाण्ट कम 1 के नाम बावत तथा मृत खातेदार कल्लू पुत्र भंवरलाल किराड निवासी खैराई तहसील शाहावाद के वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरण दर्ज करें। नामान्तरण कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

13/08/2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.09.24 12:44:38 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner